सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र, 1943 (श०)

संख्या-461 राँची, बुधवार, 8 सितम्बर, 2021 (ई०)

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

आदेश

1 सितम्बर, 2021

संख्या–03नि0/न0–56/2016 रा0नि0आ0 855– यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिला से नगरपालिका निर्वाचन, 2015 के लिए जोस् तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़नेवाला अभ्यर्थी झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 577, 578 एवं 590 सहपठित लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्‌यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा तो दाखिल किया है परन्तु विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक सूचना दिए जाने पर उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके द्वारा निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् व्यय लेखा विवरणी दाखिल कर दिया है;

अतः अब राज्य निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को इस चेतावनी के साथ आरोप मुक्त करता है कि भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति होने पर उन्हें निरर्हित घोषित किया जा सकता है।

क्रमांक	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम एवं पता	कारण
1	2	3	4	5
1	धनबाद	XIVधनबाद/02 धनबाद नगर निगम–13	तारा देवी, पति–हरि पासवान, गोधर वाटर बोर्ड, जिला–धनबाद	निर्धारित तिथि के बाद लेखा व्यय विवरणी जमा किया गया है।
2		XIVधनबाद/02 धनबाद नगर निगम–17	आफसाना परवीन, पति–मो0 नियाजुल आलम, गफ्फार कालोनी न्यु आजाद नगर, धनबाद	निर्धारित तिथि के बाद लेखा व्यय विवरणी जमा किया गया है।
3		XIVधनबाद/02 धनबाद नगर निगम–40	मुख्तार आलम, पिता–रसुल, डिगवाडीह नं0–12, पो0–जेलगोरा, जिला–धनबाद	निर्धारित तिथि के बाद लेखा व्यय विवरणी जमा किया गया है।
4		XIVधनबाद/02 धनबाद नगर निगम–40	सुरेन्द्र कौर, पिता–बलविन्दर सिंह, जामाडोबा, जिला–धनबाद	निर्धारित तिथि के बाद लेखा व्यय विवरणी जमा किया गया है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट),
संयुक्त सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 461 -- 50